भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 889

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश में नदियों का प्रदूषण स्तर

889. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में नदियों के प्रदूषण स्तर के संबंध में पर्याप्त आंकड़े हैं और यदि हां, तो राज्य में सबसे अधिक प्रभावित नदियों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में नदी प्रदूषण के प्राथमिक स्त्रोत क्या हैं और इन जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्ट, गंदे नाले के पानी और प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में प्रदूषित नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्टि पहल की गई हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश में नदी सफाई परियोजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तव में कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए और अधिक नदी प्रदूषण को रोकने और संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की जा रही दीर्घकालिक नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर नवंबर, 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में प्रदूषित नदी खंडों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नदी	प्रदूषित नदी खंड/स्थान	पाई गई अधिकतम जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) (मिलीग्राम प्रति लीटर में)	प्राथमिकता
1	वशिष्ट	नरसापुरम के पास	58	I
2	गोस्तानी	ग्राम वेंद्रा के पास	8.6	IV
3	उप्पुटेरू	चिनागोल्लापलेम के पास	3.4	V

देश में नदियाँ मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज तथा औद्योगिक बहि:स्रावों को उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में छोड़ने, ठोस अपशिष्टों को डंप करने, कृषि रनॉफ, सीवेज/अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रचालन और रखरखाव में समस्याओं, विलयन की कमी तथा प्रदूषण के अन्य गैर-बिंदु स्रोतों के कारण प्रदूषित होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों का यह मुख्य दायित्व है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उसमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम तथा देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) शुरू की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की योजनाएं भी चिन्हित शहरों में कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न शहरों में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता, स्वच्छता प्रणालियों और जल प्रबंधन में सुधार करना है।

एनआरसीपी के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में गोदावरी नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण हेतु 88.43 करोड़ रुपये की परियोजना को मार्च, 2022 में मंज़ूरी दी गई थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 28.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। देश में प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल आवेदन संख्या 673/2018 में आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त खंडो की बहाली हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

*****